न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/89/2023 रजू दिनांकः 27.06.2023 रजि0 न0 2023/566

अपीलार्थीः—

श्री पुनीत कुमार निवासी प्लॉट नं0 2/5, यूआईटी सेक्टर—2, गौरव पथ, भिवाड़ी तहसील टपूकड़ा जिला अलवर राज0 —301019

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 24.07.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.05.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 10.07.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी/प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर ने जरिये पत्र क्रमांक रसद/आर.टी.आई/2023/1521 दिनांक 05.07.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन के द्वारा वांछित सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर से है। लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब के आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर